प्रस्तुत दिनांक : 17/10/2014

माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर (इन्दौर केम्प) के समक्ष

R - 3733 - PBR/14

श्री .... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 17-10-2014 को प्रस्तुत
675
17-10-2014
अधीक्षक

रामसिंह कटारा पिता श्री गलाल कटारा,
आयु : 38 वर्ष, व्यवसाय : कृषि,
निवासी : ग्राम–खिंदाखो, तहसील–पेटलावद,
जिला–झाबुआ (म.प्र.)

— — प्रार्थी
(मूल रिस्पान्डेन्ट क्रं. 1)

विरूद्ध

(1) रमेश वसुनिया पिता श्री मानसिंह वसुनिया,
आयु : 30 वर्ष, व्यवसाय : नौकरी,
निवासी : ग्राम–खिंदाखो, तहसील–पेटलावद,
जिला–झाबुआ (म.प्र.)

(2) राजू वसुनिया पिता श्री मानसिंह वसुनिया,
आयु : 24 वर्ष, व्यवसाय : कृषि,
निवासी : ग्राम–खिंदाखो, तहसील–पेटलावद,
जिला–झाबुआ (म.प्र.)

(3) कैलाश चौहान पिता श्री जैमाल चौहान,
आयु : 40 वर्ष, व्यवसाय : कृषि,
निवासी : ग्राम–खिंदाखो, तहसील–पेटलावद,
जिला–झाबुआ (म.प्र.)

(4) खुमसिंह चौहान पिता श्री लालू चौहान,
आयु : 45 वर्ष, व्यवसाय : कृषि,
निवासी : ग्राम–खिंदाखो, तहसील–पेटलावद,
जिला–झाबुआ (म.प्र.)

(5) सरपंच, ग्राम पंचायत बखतपुरा,
जनपद पंचायत पेटलावद,
जिला–झाबुआ (म.प्र.)

(6) सचिव, ग्राम पंचायत बखतपुरा,
जनपद पंचायत पेटलावद,
जिला–झाबुआ (म.प्र.)

— — प्रतिप्रार्थीगण
(प्रतिप्रार्थी क्रं. 1 मूल अपीलार्थी है)

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

प्रार्थी की ओर सादर निवेदन है कि :–

यह कि, प्रार्थी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 553/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.08.2014 जिसके द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रार्थी क्रं. 1/अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, पेटलावद, जिला–झाबुआ द्वारा प्रथम अपील क्रं. 56/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2013 को अपास्त करते हुए श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/ए–56/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2013 को स्थिर रखा गया है । उक्त आदेश द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय ने प्रतिप्रार्थी क्रं. 1 को ग्राम पंचायत बखतपुरा, तहसील–पेटलावद, जिला–झाबुआ के ग्राम– खिंदाखो के कोटवार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है । विद्वान द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत हैं :–

R-3733-PBR/14
रामसिंह/रमेश

15.12.2015

आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष

[कृ. प. उ.

हस्ताक्षर
(पक्षकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा)